न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 321/2017/225 आरटीए

स्नहेप्रभा पत्नि गोपालराम जाति अग्रवाल निवासी प्राकृतिक चिकित्सालय के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. पन्नालाल पुत्र बजरंग दास जाति अग्रवाल निवासी प्राकृतिक चिकित्सालय के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गोपालराम पुत्र स्व. मालचन्द जाति अग्रवाल निवासी प्राकृतिक चिकित्सालय के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. पुष्पादेवी (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी बालाजी व्हाइट हाउस बैंक रोड मुक्तसर तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
4. सुशीला (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी विद्याधर नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
5. सरोज (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि बिशम्बर दयाल जाति अग्रवाल निवासी दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी गांधीधाम गुजरात।
6. शारदा (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी सुखाडिया सर्किल के पास 14 न्यू बिनोवा बस्ती श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. लक्ष्मी (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि मोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी अनूपगढ़ द्वारा अग्रवाल ट्रेडर्स अनाज मण्डी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. बबीता (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि पुनीत कुमार जाति अग्रवाल निवासी भूप कॉलोनी मकान नं. 86 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. आनन्दी (पुत्री स्व. मालचंद) पत्नि पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी फलौदी द्वारा अनिल साल्ट कम्पनी फलौदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर।
10. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 226/2014 अनवानी पन्नालाल बनाम गोपालराम

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –21.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया। अपीलांट/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउंटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे रिसीवर नियुक्त करने हेतु अनुतोष

चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने अभियान के दौरान दिनांक 21.10.2014 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांटा द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था जिसमे अपीलांटा ने विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया तथा कांउटर प्रार्थना पत्र का जवाब भी रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली मे शेष अप्रार्थीगण की तलबी के लिए तारीख पेशी 17.05.17 निशचित थी। दिनांक 17.05.17 को पीठासीन अधिकारी राजस्व अभियान 'प्रशासन आपके द्वार' मे होने के कारण पत्रावली पेशी मे नही आई और न्यायालय द्वारा कोई आगामी तारीख पेशी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.17 को पत्रावली पेशी मे लेकर किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। जब पत्रावली मे अपीलांटा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा रिसीवर नियुक्ति के लिए काउंटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय का दायित्व था कि वे पक्षकारान के अभिभाषकगण को बुलाते एवं उन्हे बहस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व अपीलांटा एवं उसके अभिभाषक को सुनवाई एवं बहस का कोई अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे अपीलांट के जवाब का कोई हवाला नही दिया और ना ही काउंटर प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि मालचंद की सरकार से नीलामी मे खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि है। मालचंद ने अपने जीवनकाल मे इस वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलांटा के पक्ष मे करवा दी थी। वसीयत के आधार पर न्यायालय ने अपीलांट को प्रकरण मे पक्षकार बना लिया था। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत शिविर मे एकपक्षीय निर्णित नही किया जा सकता है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे तो अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत मे एकपक्षीय रूप से बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया जो विधिसम्मत नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 जो पारिवारिक समझौता दिनांक 01.05.1979 के मुताबिक रेस्पो0 को प्राप्त हुई है जिसके घोषणा का अनुतोष चाहा गया तथा उक्त वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सही निर्णय पारित किया गया है जो सही है। मालचंद ने प्रश्नगत भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष मे नही करवाई है तथा न ही मालचंद को अभिकथित वसीयत करने का अधिकार था। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 के हक व हिस्सा की है इसलिये रेस्पो0 इसकी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नाजायज नही है बल्कि संयुक्त हिन्दू परिवार के मध्य हुए पारिवारिक समझौता के तहत प्रश्नगत भूमि पर कब्जा साधिकारपूर्ण प्राप्त हुआ है। पारिवारिक समझौता की लिखित दिनांक 01.05.1979 को हुई थी। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 अपीलांट के विरूद्ध अनुतोष स्वरूप स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय कांउटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्ति का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा ना ही अपीलांट के काउंटर प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। जबकि आरआरटी 2016–17 पेज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

567 न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से बिना सहमति पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के प्रकरण मे पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.06.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़